वर्ष-29, अंक-2, अप्रैल-जून-2017, 25-31

अर्हत् वचन
कुन्दकुन्द ज्ञानपीठ, इन्दौर
ISSN 0971-9024

जल संरक्षण में सहयोगी - जल गालन

■ मनमोहन चन्द्र*

सारांश

समस्त जीवधारियों के जीवन हेतु जल एक आवश्यक तत्व है, जो प्रकृति द्वारा भूमिगत जल एवं वर्षाजल के माध्यम से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराया गया है । किन्तु वर्तमान में जल के अनियंत्रित दोहन, अवैज्ञानिक जीवनशैली, वर्षाजल की न्यूनता, वर्षादिवसों की घटती संख्या एवं शहरीकरण के कारण जल की उपलब्धता घटती जा रही है । इस विषम परिस्थिति में जैन परम्परानुमोदित जीवनशैली को अपनाने एवं जलगालन की विधियों के प्रयोग से जल की आवश्यकता को घटाकर एवं उसके युक्ति संगत तर्कपूर्ण उपयोग से समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है । डिटर्जेंट के स्थान पर राख का प्रयोग भी हितकर है ।

जल ही जीवन है । यह सत्य है तब यह भी सत्य है कि जल की उपलब्धता केवल प्रकृति द्वारा ही की जाती है, वर्षा चक्र के माध्यम से । पानी का रासायनिक समीकरण भले ही मानव ने जान-समझ लिया हो, प्रयोगशाला स्तर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मेल से पानी बनाने मे सफलता भी पा ली हो फिर भी दुनियां में अभी तक ऐसी कोई मशीन कार्यशील नहीं है जिससे आवश्यकतानुसार जल का विनिर्माण हो रहा है ।

भारत वर्ष में वर्तमान में औसतन 1170 मिली मी. वार्षिक वर्षा होती है[1] । अधिकांशतः मानसून के मौसम में । इसमें भी 80 फीसदी वर्षा जल बह कर समुद्र में चला जाता है । यह आंकड़ा बारिश के बदलते पैटर्न के साथ बढ़ता ही जा रहा है । वर्तमान में मानसून के दिन कम होते जा रहे हैं और जब बारिश होती है तब बहुत तीव्र गति से होती है इसके कारण बहकर बेकार होने वाले पानी का प्रतिशत भी बढ़ रहा है । इस प्रतिशत को बढ़ाने में आधुनिक सभ्यता के नाम पर बढ़ते कांक्रीट के जंगल भरपूर सहयोग कर रहे हैं । कीचड़ से सनी सड़कें तो अब गावों में भी मुश्किल से दिखती हैं, आज रेनवाटर हार्वेस्टिंग का लुभावना नारा सरकारी नारा बनकर भर रहा गया है । इस तरह पानी की कमी में चाहे विदेशों से आयातित चकाचौंध करने वाली शहरी जीवन शैली हो, शुद्ध मिनिरल वाटर बनाने के नाम पर 5 गुना तक साफ पानी का अपव्यय हो, सभी अपनी-अपनी ताकत से योगदान देकर समस्या को भयावह बनाने में लगे हुए हैं ।

पानी की कमी को केवल प्यास बुझाने तक ही सीमित नहीं करना है । अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्था के अनुसार पानी की कमी से दुनियां की 45 फीसदी सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.[2]) पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा । कार्बन डिस्क्लोजर रिपोर्ट[3] के अनुसार पानी की कमी से अगले तीन साल में कृषि, मत्स्य, ऊर्जा उत्पादन, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, फार्मा इंडस्ट्री, पेपर निर्माण, प्लास्टिक निर्माण सेक्टर आदि प्रभावित होंगे । यह स्वीकार्य तथ्य है कि भारतीय अर्थ व्यवस्था कृषि आधारित है विशेषकर मानसून वर्षा आधारित । एक ओर वर्ष 2015 में मानसून के दौरान 14 फीसदी कम वर्षा हुई[4] वहीं, बदलते बारिश के पैटर्न के कारण उपलब्ध मानसून की वर्षा का सार्थक उपयोग न तो कृषि हेतु हो पाया, न ही जल स्रोत में समुचित जल भराव हो

* 802 आर.पी.नगर, फेस - 1, कोसाबाड़ी, कोरबा (छ.ग.) 495677

पाया । आकड़ों को ही स्वीकार करें तो देश के 91 प्रमुख जल स्रोतों की 17 मार्च 2016 साप्ताहिक समीक्षा में 43 अरब क्यूबिक मीटर पानी शेष है[5] । प्रत्येक भारतीय की रोज की पानी खपत 200 लीटर माने तो यह पानी 6 महीने में खत्म हो जाएगा ।

इस तरह पानी की कमी एक ओर जहाँ खाद्यान्न के उत्पादन पर असर डालती है वहीं रोजगार पर भी असर होता है ।

भयावह होती पानी की कमी की समस्या का निराकरण कैसे हो, इस विषय का तात्कालिक और दीर्घकालीन उपाय खोजने के पूर्व कुछ बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक हैः-

1. वर्षा जल पुनर्भरण की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक दोहन हो रहा है[6] । मांग और आपूर्ति में अंतर भी निरंतर बढ़ रहा है । सरकार ने संसद में वर्ष 2015 में पेश रिपोर्ट में बताया है कि देश में 1123 अरब क्यूबिक मीटर पानी की सालाना उपलब्धता है । केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार 2050 तक देश में 1180 अरब क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत होगी[7] ।

इस समस्या का निदान मेगसेसे पुरस्कार से सम्मानित श्री राजेन्द्र सिंह ने अपने बैतूल (म.प्र.) प्रवास के दौरान वरिष्ठ नागरिक संगठन, बैतूल के सदस्यों से चर्चा के दौरान, अपनी जीवन और कार्य शैली को बताया था । उन्होंने बताया कि उनका संकल्प था कि यदि एक लोटा पानी पृथ्वी से लिया जाता है, तो यह कर्ज है, जिसे ब्याज सहित एक लोटा से अधिक जल को वापिस जमीन में भेजना है । इसी उद्देश्य से जो जल संग्रहण क्षेत्रों का निर्माण प्रारंभ में अकेले और सफलता के बाद अपार जन सहयोग से किया उसी का परिणाम है कि आज विकेन्द्रीय सामुदायिक जल प्रबंधन वर्तमान जल संकट का हल बन चुका हैं । पानी का अधिकार किसी उद्योगपति को देने की बजाय लोगों को पानी का मालिक बनना होगा ।

2. भारत में वर्ष 1990 में एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने पहली बार बोतलबंद पानी को बाजार में उतारा । धुआँधार प्रचार के बल पर बोतलबंद पानी सुरक्षित पानी घोषित हो गया । शहरी इस विज्ञापन के सर्वाधिक प्रभाव में आए और बोतलबंद पानी को बेहतर स्वास्थ का प्रतीक माना जाने लगा । इसी क्रम में सन् 1992 में डबलिन कान्फ्रेंस ऑन वाटर एडं एनवायरमेंट[8] में विकासशील देशों में पानी के निजीकरण की बुनियाद पक्की कर दी गई । तीसरी दुनियां के देशों पर पानी के निजीकरण का दबाव बनाने के लिए आई एम एफ व विश्व बैंक[9] ने इस शर्त पर कर्ज दिया कि उन्हें संसाधनों पर सरकारी नियंत्रण कम करना होगा । ऐसे में पानी के कारोबार के नियंत्रण का रास्ता खुल गया । सतही- भूमिगत जल भंडारण और स्त्रोतों को सहेजने का तात्कालिक और दीर्घकालिक उपाय स्वयं करने की जगह सरकार द्वारा भी निजीकरण, व्यवसायीकरण, ठेकेदारी प्रथा जैसी कृत्रिम व्यवस्था बनाकर पानी जैसी प्राकृतिक जरूरत को सुलझाने का सपना देखा जाने लगा ।

वर्ष 2013 में देश में बोतलबंद पानी का बाजार 60 अरब रुपये का था । अनुमान है कि वर्ष 2018 तक यह, सालाना 22 प्रतिशत वृद्धि के साथ 160 अरब रूपए हो जाएगा । पानी का कारोबार लागत और मुनाफे के लिहाज से बेहद आकर्षक है । लागत मामूली होने की वजह से कंपनियों, विशेषकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जबरदस्त मुनाफा होने लगा । लेकिन उसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ा है । कंपनियों द्वारा पर्यावरणीय नियमों को ताक पर रखकर अंधाधुंध तरीके से भूमिगत जल का दोहन करने में सरकार की सिर्फ लाचारी ही दिखाई देती रही जिसके फलस्वरूप बहुराष्ट्रीय कंपनियां पानी के रूप में एक ऐसे प्राकृतिक संसाधन को बेतहाशा निचोड़ने पर लगी हैं, जिसकी मात्रा सीमित है । और जिस पर पहला अधिकार देश के नागरिकों का

हैं । केरल हाइकोर्ट, मुम्बई हाइकोर्ट, यूनेस्को आदि ने भी पानी को जीने के अधिकार के तहत बुनियादी अधिकार घोषित किया है । संविधान में दिए गए राइट टु लाइफ और राइट टु फूड का संबंध भी राइट टु वाटर से है ।

3. सरकार की पूरी नीति शहर केन्द्रित हैं । स्मार्ट सिटी और उसमें उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के आकर्षण से गॉवों में जबरन विस्थापन बढ़ रहा है और शहरों पर आबादी का बोझ बढ़ रहा है । इस शहरी संस्कृति से एक ओर जहाँ पानी का व्यय नहीं अपव्यय बढ़ रहा है वहीं चमचमाती सीमेंट की सड़को ने पानी को जमीन में जाने से अवरुद्ध कर दिया है । इन परिस्थितियों का सर्वाधिक फायदा ठंडे पेयजल बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां उठा रही हैं । ठंडा पेयजल आज शुद्ध दूध से महंगा है ।

4. शहरों में बढ़ती आबादी के दबाव को झेलने के लिए कांक्रीट के जंगल अब ताल-तालाबों, पोखरों को भी निगलने लगे हैं । यह स्थिति एक शहर की नहीं अपितु भारतवर्ष के सभी शहरों में एक जैसी है । अन्यथा क्या कारण है कि आज न तो चारागाह दिखते हैं, न पहले जैसे लबालब ताल-तालाब, पोखर । उपरोक्त बिंदुओं सहित अनेक अन्य बिंदु भी है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि सरकारी नीतियॉ कारगर साबित नहीं हो पा रही है । वास्तव में समस्या अदूरदर्शी नेतृत्व की है । निवारण पर सरकार की सोच शून्य है । बल्कि महाराष्ट्र के लातूर में धारा 144 लगाना पड़ गई । क्या यह पानी के लिए युद्ध जैसी स्थिति नहीं है? जिसकी भविष्यवाणी सालोसाल पहले से की जा रही है ।

परन्तु अकेले सरकार के भरोसे विकराल होती पानी की कमी की समस्या का निवारण नहीं हो सकता । जल संरक्षण समाज का दायित्व है । हमारे पुरखों ने जलाशय-वापी, बावड़ी, ताल-तालाब इसी उद्देश्य से न केवल बनवाए थे बल्कि उनको सहेजा भी था । आज समाज को संकल्प लेना होगा कि इन पानी के उपलब्ध स्त्रोतों को अब मिटने नहीं देंगे हर स्तर पर पूर्ण संरक्षण प्रदान करेंगे ।

जल संरक्षण के उपाय-

हमारी प्राचीन जीवन शैली में राख का विशिष्ट स्थान था । शौच के पश्चात् हाथ राख से धोए जाते थे । वर्तमान में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विज्ञापन ने दिमाग में घर बना दिया है कि हाथ धोने के लिए एंटी बेक्टीरियल साबुन या हैंडवास ही श्रेष्ठ विकल्प है । राख को लेकर यह भ्रांति स्थापित कर दी गई है कि राख अब उपलब्ध नहीं है, विशेषकर शहरों में कुछ अंश में जलावन लकड़ी का स्थान गैस ने जरूर ले लिया है परंतु आज भी जिस मात्रा में दूध की उपलब्धता है, वह प्रमाण है कि दूध देने वाले प्राणी भी हैं और उत्सर्जित गोबर भी । राख की अनुपलब्धता बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कुटिल चाल का एक मात्र हिस्सा है । ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि साबुन या हैंडवास से हाथ धोने में जो पानी खर्च होता है उसकी तुलना में राख से हाथ धोने में अतिअल्प पानी लगता है और ध्येय भी पूरा हो जाता हैं ।

कुछ समय पूर्व तक शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में बर्तन राख से साफ किए जाते थे । इनको धोने में भी पानी बहुत अल्प लगता है । आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के धुआंधार प्रचार के चलते शहरों में बर्तन साफ करने का साधन डिटर्जेंट पाउडर, साबुन, सोडा और लिक्विड तक सीमित हो गया हैं । बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते तीक्ष्ण से तीक्ष्ण डिटर्जेंट साबुन, केक, बार आदि बाजार में उतारे जा रहे हैं । व्यस्त हो या सामान्य, एक गृहणी यह सोचना ही नहीं चाहती कि बहुत अधिक पानी से साफ करने के बाद भी, बर्तन साफ करने में प्रयुक्त डिटर्जेंट का अंश तो शेष रह ही जाता हैं जो अन्ततः भोजन करते समय पेट में जाते हैं ।

अम्ल तत्व की अधिकता होने के कारण ऐसिडिटी, अल्सर, कैंसर आदि का कारण बनते हैं । वहीं बर्तन धोने वाली महिला के हाथ में खुजली, रूखापन या त्वचा के अन्य रोग की स्थिति बन जाती है । बर्तनों को राख से धोने में अपेक्षाकृत बहुत कम पानी लगता है । यदि राख से धोए हुए बर्तनों में यदि राख का अंश रह भी जाए तो कोई नुकसान नहीं होता । अपितु राख के क्षारीय तत्व रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाते हैं ।

अम्लीय और क्षारीय तत्व क्या हैं और इसके नापने का पैमाना क्या है, इसे समझें ।

पानी की और अन्य किसी पदार्थ की अम्लता नापने का पैमाना पीएच वेल्यू P^H है ।

1. यदि पानी की P^H वेल्यू 7 होती है तो वह न्यूट्रल पानी कहलाता है ।

2. पानी की P^H वेल्यू 7 से ऊपर होती है तो वह अल्कलाइन या क्षारीय पानी कहलाता हैं ।

3. पानी की P^H वेल्यू 7 से कम होती है तो वह एसिडिक पानी, अम्लीय पानी कहलाता हैं ।

जैन समाज सहित अनेक समाजों में भोजन में पापड़ एक मुख्य घटक होता है । पापड़ में भी अनेक तरह के क्षारीय पदार्थ यथा सज्जीखार, फूलखार आदि एक घटक के रूप में होते हैं । क्यों होते है क्षारीय पदार्थ पापड़ में, ये किस तरह स्वास्थ के लिए उपयोगी हैं ?

वर्तमान में फास्ट फूड, चाट, मसालेदार भोजन, होटेल, ठंडा पेय, डिब्बा बंद पदार्थ का प्रचलन बढ़ रहा है । सब्जी, फल, अनाज आदि का पैदा करने तथा संरक्षित रखने में रासायनिक खाद तथा जन्तु नाशक दवाओं का उपयोग बढ़ता जा रहा है । ये सभी प्रक्रियाऐं अम्लीय है । हमारे शरीर की क्षमता के अनुसार P^H वेल्यू का संतुलन न होने की स्थिति में ऐसिडिटी, कब्जियत, वायुरोग जोड़ो में दर्द आदि होने लगते हैं । ये सभी स्थितियाँ अम्लत्व की वृद्धि और क्षारत्व की कमी की परिचायक हैं । अतः मूल समस्या के हल के रूप में अधिक अम्लीय भोजन करने की जगह क्षारीय तत्व प्रधान भोजन भी ग्रहण करें । इसलिए जैन समाज सहित अनेक समाजों में पापड़ का सेवन भोजन में आवश्यक रूप से सम्मिलित रहता है जो कुछ हद कर क्षारीय तत्व की पूर्ति करता हैं ।

वैसे तो क्षारीय जल बनाने की मशीन भी मिलती है । परंतु कीमत की दृष्टि से इसका उपयोग सभी के लिए संभव नहीं है । इस अवसर पर इस मिथक को तोड़ना भी आवश्यक है कि बोतलबंद पानी बेहतर स्वास्थ का प्रतीक है या कि सर्वाधिक सुरक्षित पीने योग्य पानी है । अमरीकी खाद्य प्रशासन के अनुसार 40 फीसदी बोतलबंद पानी असुरक्षित होता है । यहॉ यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि पैसिफिक इंस्टीट्यूट के मुताबिक अमेरिका में 1 टन मिनरल वाटर बॉटल बनाने में 3 टन कार्बन उत्सर्जन के साथ ही, 1 लीटर मिनरल वाटर बनाने पर 5 लीटर साफ पानी खर्च करना पड़ता हैं[10]। मिनरल वाटर प्राप्त करने का यह विकल्प भी पानी का अपव्यय मात्र ही है ।

इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि नियोजित जल संसाधनों के अभाव से बड़ी आबादी जूझ रही है । बढ़ते निजीकरण, औद्योगिक और मानवीय अपशिष्टों से पेयजल संकट लगातार बढ़ रहा है । आज 10 करोड़ घरों में बच्चों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा इससे हर दूसरा बच्चा कुपोषित है ।

वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत में 21 फीसदी संक्रामक बीमारियों दूषित पानी की वजह से होती हैं । इनमें फ्लोराइड, आर्सेनिक, लेड (सीसा) और यूरेनियम तक घुला पाया जाता है । बड़ी आबादी पेट के संक्रमण से लेकर कैंसर तक की चपेट में हैं ।

पानी के उपरोक्त भयावह आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में क्या पानी की कमी के साथ-साथ स्वच्छ पानी हेतु कोई व्यवहारिक समाधान है ?

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई से निकली ''ताप्ती'' के पानी के दोहन के लिए प्रयासरत वरिष्ठ नागरिक संगठन बैतूल के सदस्यों ने (जिसमें इस लेख के प्रस्तुतकर्ता भी सम्मिलित थे) श्री राजेन्द्र सिंह से उनके बैतूल प्रवास के दौरान पानी को लेकर विस्तृत चर्चा की थी । इस मुलाकात में हुई विस्तृत चर्चा का स्मरण पुनः हो गया जब पत्रिका 3 अप्रैल 2016 के अंक में श्री राजेन्द्र सिंह का साक्षात्कार छपा । श्री अतुल चौरसिया से हुए साक्षात्कार में ''क्या कोई ऐसा अनुकरणीय स्वावलंबन का सफल मॉडल हैं'' के उत्तर मे वही बात दुहराई जो वरिष्ठ नागरिक संगठन बैतूल के सदस्यों से कई साल पहले कहीं थी । फिर भी प्रश्न का उत्तर अक्षरशः प्रस्तुत है-

''देश में ऐसे कई सफल मॉडल हैं । राजस्थान में है । हमने राजस्थान में एक दो नहीं 1200 गॉवों में इसे सफल बनाया है जल संरक्षण समाज का भी दायित्व है । लोगों ने 80 के दशक में पानी को सहेजना शुरू कर दिया था । पानी एक बार जमीन में जाने लगा तो फसलें लहलहाने लगी । विकेन्द्रित सामुदायिक जल प्रबंधन इसका हल है । पानी का अधिकार किसी उद्योगपति को देने की बजाय लोगों को पानी का मालिक बनाना होगा'' ।

वरिष्ठ नागरिक संगठन बैतूल के सदस्यों से हुई वार्ता आज श्री राजेन्द्र सिंह पुनः दुहरा रहे हैं । क्यों ?

अनगार और सागार वर्ग के साधुओं के लिए रयणसार, मूलाचार, श्रावकाचार, दशवैकालिक सूत्र, आचारांग सूत्र आदि अनेक आगम ग्रंथों में, साधुओं के वर्ग के अनुरूप आचार सिद्धांत दर्शाए गए हैं, परंतु संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए जैनदर्शन की तर्कपूर्ण एवं विज्ञान सम्मत अनूठी देन है ''जलगालन'' ।

जलगालन-

जैन धर्म में जल को छानकर ही प्रयोग में लाना, श्रावक की त्रेपन क्रियाओं में सम्मिलित है । निर्धारित विधियों से शुद्ध किया गया, जीवरहित जल प्रासुक कहलाता है ।प्रासुक जल को अचित्त जल भी कह सकते हैं । इस जल में असंख्य अपकाय, अनंत निगोद और असंख्य त्रस जीव नहीं रहते जो सामान्य जल या सचित्त जल में रहते हैं ।

जल छानने की साधारण व्यवहृत विधि कूप, बावड़ी, नदी आदि के जल को कपड़े से छानने की है । यह विधि प्रत्येक जैन परिवार में अपनाई जाती है जिससे ''छन्ना'' जैनियों की पहचान बन गया है । छन्ने से छना हुआ जल दो घड़ी अर्थात् 48 मिनट तक ही प्रासुक रहता हैं । लवंग, हरड से प्रासुक किया जल 6 घंटे तक प्रासुक रहता है । इस विधि में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पानी का स्वाद व रंग बदल जाए ।

उबाला हुआ जल 24 घंटे प्रासुक रहता है । परंतु इस हेतु दशवैकालिकसूत्र[11]- आठवें अध्ययन की छठवी गाथा में **''तत्फासुसं''** शब्द देकर उष्णोदक लेने की आज्ञा दी गई है । इससे स्पष्ट होता है कि केवल गरम होने मात्र से जल अचित्त नहीं होता, किंतु वह पूर्ण मात्रा में गर्म होने से अचित्त होता है । मात्रा की पूर्णता का आशय यह है कि ''त्रिदण्डोद्वत'' तीन बार पानी उबलने पर ही अचित्त होता है अन्यथा नहीं ?

आचारांग सूत्र[12] के दुसरे श्रुतस्कंध के उद्देशक सात और आठ में गरम पानी के सिवाय बीस प्रकार का धोवल भी बताया है इसकी काल मर्यादा सभी ऋतुओं में चार प्रहर से झाझेरी (अधिक) बताई गई है । कुछ प्रमुख धोवन (अचित्त) पानी हैं- चावल, दाल, तिल, तुश, जब आदि का धोया हुआ पानी, छाश की पराश का पानी, आटा का धोवन पानी, राख से बर्तन धोया हुआ पानी, आम, केरी, इमली, ऑवला, केर, बोर, नारियल, खारक, अनार आदि का धोवन पानी ।

रासायनिक दृष्टि से धोवन पानी क्षारीय जल है और आध्यात्मिक दृष्टि से अचित्त जल जो अप्रत्यक्ष रूप से जीव दया का मूल है।

इस लेख का मुख्य उद्देश्य जल के इस अपव्यय को रोकने के साथ ही जीवदया हेतु उचित मात्रा में मिश्रित किया हुआ राख जल से जन समान्य को परिचित कराना है। जिसमें आगम के अनुसार जल का वर्ण, गंध, रस और स्पर्श बदल जाते हैं।

धोवन (राख का) पानी-

1. आयुर्वेद में राख भस्म के सफल प्रयोगों से छोटी-बड़ी अनेक बीमारियों में राहत और मुक्ति बताई हैं। आयुर्वेद में राख को एंटीसेप्टिक बताया हैं।

2. पानी को शुद्ध करने की पद्धतियों खर्चीली तथा समय और विद्युत के व्यय वाली होती है जबकि राख से पानी को शुद्ध करने की रीति बिना खर्च वाली पद्धति है।

3. बाबा, फकीर और तपस्वी शरीर पर राख लगाते हैं जिसे भभूत कहा जाता है। यह भभूत शरीर का रक्षण करती है। जीव जंतु शरीर पर डंक आदि नहीं लगाते और कदाचित डंक लगा भी दें तो उनका जहर नहीं चढ़ता हैं।

4. गॉवों में आज भी राख चोट आदि के लिए प्रचलित उपचार हैं।

5. अनाज सुरक्षित रखने के लिए राख एक प्रमुख तत्व हैं।

6. धोवन (राख का) पानी पीने से शरीर में रक्त कण की संख्या बढ़ती है और स्फूर्ति रहती हैं।

7. धोवन पानी से पेट में बढ़ी हुई अम्ल की मात्रा नियंत्रित होती है। जिससे एसिडिटी को सामान्य किया जाता है।

राख के उपयोग का प्रमुख काम यह है कि बर्तन आदि कम से कम पानी से माजें जा सकते है। पुनः जिस पानी से बर्तन साफ किए जाते हैं उसी से धोवन पानी बना दिया जाता हैं इस तरह पानी का अपव्यय पूर्ण रूप से रुक जाता है ओर बर्तन धोने में खर्च भी कुछ नहीं होता। यदि राख युक्त पानी गटर में चला भी जाए तो असंख्य त्रस और अनंत स्थावर जीवों की विराधना नहीं होती। डिटर्जेन्ट पाउडर से बर्तन आदि धोने में बहुत अधिक पानी का अपव्यय होता है। बर्तन धोने के बाद डिटर्जेन्ट का शेष थोड़ा भी अंश न केवल शरीर के लिए हानि कारक है और अन्य कोई उपयोग नहीं कर पानी के कारण गटर में बहाने पर जीव घात होता हैं।

इस लेख का उद्देश्य धोवन पानी जैसी विधियों को अपनाकर पानी के उपयोग को शरीर को नीरोग रखने के साथ ही पानी की मात्रा को न्यूनतम रख कर भी सार्थक उपयोग में लगाना है। जल संरक्षण की यह श्रेष्ठ विज्ञानसम्मत, तर्कपूर्ण विधि जल परीक्षण केन्द्र द्वारा प्रमाणित कराई गई है। कोरबा (छ.ग.) में स्थित सहायक अभियंता-जल परीक्षण केन्द्र[12] में धोवन पानी की जॉच की रिपोर्ट इस संबंध में लेखक के पास उवलब्ध है।

जब वैज्ञानिक परीक्षण और प्रयोग शालायें धोवन पानी की श्रेष्ठता को समर्थन दे रही हैं, तब निरोगीकाया बनाये रखते हुए जीव दया और अनुकम्पा के गुण जागृत करते हुए जल संरक्षण में सहयोग प्रदान करें।

संदर्भ ग्रंथ एवं लेख

1. पत्रिका, बिलासपुर संस्करण (छ.ग.), 03 अप्रैल 2016 का संडे जैकेट।
2. पत्रिका, 03 अप्रैल 2016 का संडे जैकेट।
3. पत्रिका, 03 अप्रैल 2016 का संडे जैकेट।
4. भारतीय मौसम विभाग द्वारा 'तो जल बिन तरसेगा कंठ शीर्षक' से प्रकाशित समाचार।
5. केन्द्रीय जल आयोग द्वारा प्रकाशित आकड़े उपरोक्त आलेख में।
6. पत्रिका, 03 अप्रैल 2016 को संडे जैकेट।
7. करीब 7-8 वर्ष पूर्व शासकीय विश्राम गृह में वरिष्ठ नागरिक संगठन बैतूल से विशेष चर्चा।
8. पत्रिका, 03 अप्रैल 2016 बिलासपुर संस्करण का संडे जैकेट।
9. पत्रिका, 03 अप्रैल 2016 बिलासपुर संस्करण का संडे जैकेट।
10. पत्रिका, 03 अप्रैल 2016 बिलासपुर संस्करण का संडे जैकेट।
11. दशवैकालिक, आँठवाँ अध्ययन, गाथा-6
12. आचारांग, स्कंध-2, उद्देशक - 7 एवं 8

प्राप्तः 20.08.2016

प्राकृत अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

श्रवणबेलगोला (कर्नाटक) में 3 से 6 नवम्बर 2017

भगवान बाहुबली महामस्तकाभिषेक महोत्सव 2018 कमेटी के तत्वावधान में बाहुबली प्राकृत विद्यापीठ श्रवणबेलगोला के आयोजन में जगदगुरु कर्मयोगी स्वस्तिश्री चारूकीर्ति भट्टारक महास्वामी श्रवणबेलगोला के मार्गदर्शन में सब कमेटी प्राकृत इन्टरनेशल कॉन्फ्रेन्स के संयोजकत्व में श्रवणबेलगोला (कर्नाटक) में चार दिवसीय प्राकृत अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 3 से 6 नवम्बर 2017 में आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश-विदेश से लगभग 100 प्राकृत के वरिष्ठ विद्वान् शोधपत्रों को प्रस्तुत करेंगे एवं अन्य 100 प्राकृत युवा विद्वान भी प्रतिनिधि के रूप में चर्चा में भाग लेंगे। इस प्राकृत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रमुख विषय प्राकृत ग्रंथों में प्राप्त विश्व की प्राचीन सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विरासत तथा वैज्ञानिक तथ्यों को उजागर करना है, जिससे विश्व में शांति और सौहार्द्र का प्रसार हो। इस अवसर पर प्राकृत-अपभ्रंश की पुस्तकों का प्रकाशन भी किया जायेगा। इस प्राकृत सम्मेलन में प्राकृत संस्कृति की प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्राकृत कविगोष्ठी भी आयोजित करने की योजना है। प्राकृत-अपभ्रंश के सभी विद्वानों एवं संस्थाओं के सहयोग की अपेक्षा है। इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय परामर्शक मण्डल के सुझावों के अनुसार एक आयोजन समिति कर रही है। अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क सूत्र :

प्रो. प्रेमसुमन जैन, उदयपुर (अध्यक्ष) प्राकृत अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन,
मो. : 094133 71053, ई-मेल : premsuman@yahoo.com
प्रो. हम्पा नागराजय्या, बैंगलोर (अध्यक्ष) परामर्श मण्डल, प्राकृत अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन
मो. : 099643 71596, ई-मेल : hampana1@gmail.com
विनोद दोड्डाणवर, बेलगाम, (सचिव) महोत्सव समिति-18
मो.: 09880022555, ई-मेल : chairmangc@betgbs.in

ज्ञानोदय इतिहास पुरस्कार

श्रीमती शांतिदेवी रतनलालजी बोबरा की स्मृति में श्री सूरजमलजी बोबरा, इन्दौर द्वारा स्थापित ज्ञानोदय फाउण्डेशन के सौजन्य से कुन्दकुन्द ज्ञानपीठ इन्दौर द्वारा ज्ञानोदय पुरस्कार की स्थापना 1998 में की गई। यह सर्वविदित तथ्य है कि दर्शन एवं साहित्य की अपेक्षा इतिहास एवं पुरातत्त्व के क्षेत्र में मौलिक शोध की मात्रा अल्प रहती है। फलतः यह पुरस्कार जैन इतिहास के क्षेत्र में मौलिक शोध को समर्पित किया गया है। इसके अन्तर्गत जैन इतिहास के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र/पुस्तक प्रस्तुत करने वाले विद्वान् को रु. 21000/- की नगद राशि, शाल एवं श्रीफल से सम्मानित किया जाता है।

अद्यतन पुरस्कृत विद्वानों एवं उनकी कृतियों का विवरण निम्नवत् है –

डॉ. शैलेन्द्र रस्तोगी, लखनऊ (म.प्र.) (सम्प्रति स्वर्गस्थ) 'जैन धर्म, कला प्राण ऋषभदेव और उनके अभिलेखीय साक्ष्य' (1998)

प्रो. हम्पा नागराजैय्या, बैंगलोर (कर्नाटक) 'A History of the Rāṣtrakūtas of Malkhed and Jainism' (1999)

डॉ. अभयप्रकाश जैन, ग्वालियर (म.प्र.) (सम्प्रति स्वर्गस्थ) 'जैन स्तूप परम्परा' (2000)

श्री सदानन्द अग्रवाल, मेण्डा रोड़ (उड़ीसा) 'खारवेल' (2001)

डॉ. जी. जवाहरलाल, तिरुपति (आ.प्र.) 'Jainism in Andhra (As depicted in inscriptions)' (2002)

श्री रामजीत जैन एडवोकेट, ग्वालियर (म.प्र.) (सम्प्रति स्वर्गस्थ), 'गिरनार माहात्म्य' (2003)

प्रो. ए. इकम्बरानाथन, चेन्नई (तमिलनाडु) 'Jaina Iconography in Tamilnadu' (2004)

श्री सूरजमल खासगीवाला, भिवन्डी (महाराष्ट्र) 'जैन इतिहास' (2005)

ब्र. संदीप जैन 'सरल', बीना' पांडुलिपि संरक्षण एवं संकलन कार्य हेतु' (2006)

प्रो. जे. सी. उपाध्याय, इन्दौर, जैन इतिहास के क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान कार्य (2010)

श्री शांतिलाल जैन 'जांगड़ा', उदयपुर, 'ऋषभदेव केसरियाजी मंदिर एवं इसकी परम्परा' (2011)

श्री पवनकुमार जैन, दिल्ली, 'प्राचीन तीर्थ जीर्णोद्धार' पत्रिका के कुशल प्रबन्ध सम्पादन हेतु (2012)

डॉ. वंदना मेहता, लाडनूँ, तेरापंथ में पांडुलिपि लेखन का उद्भव एवं विकास की परम्परा पर (2013) तथा

श्री नरेश पाठक, ग्वालियर, जैन इतिहास एवं पुरातत्त्व विषयक शोध हेतु (2014)

2015 एवं 2016 के पुरस्कार हेतु निर्णय प्रक्रियाधीन है। चयनित कृति के लेखक को रु. 21000/- की राशि, शाल, श्रीफल एवं प्रशस्ति प्रदान की जायेगी। साथ ही चयनित कृति के प्रस्तावक (कृति सहित प्रस्ताव भेजनेवाले) को भी रु. 1000/- की राशि से सम्मानित किया जायेगा।

2017 के पुरस्कार हेतु प्रस्ताव सादे कागज पर कृति सहित 30.06.2017 तक आमंत्रित हैं।

जैन विद्याओं के अध्ययन/अनुसंधान में रुचि रखने वाले सभी विद्वानों/ समाजसेवियों से आग्रह है कि वे जैन इतिहास/पुरातत्त्व विषयक मौलिक शोध कार्यों के संकलन, मूल्यांकन एवं शोधकों को सम्मानित करने में हमें अपना सहयोग प्रदान करें।

प्रो. ए. ए. अब्बासी	**सूरजमल बोबरा**	**डॉ. अनुपम जैन**
मानद निदेशक	पुरस्कार प्रायोजक	कार्यकारी निदेशक

31.03.2017